

RBE No. 89/2024

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2023/CR/4

New Delhi, dated 24.09.2024


The General Managers (P)
All Zonal Railways & Production Units, etc.
(As per standard list)

Sub: Consideration of representation against 'Adverse remarks' recorded in the APAR of a non-gazetted railway servant.

Attention is invited to Para 8.2 of Master Circular No. 28/91 on the subject of Confidential Reports on Non-gazetted Railway Servants- Master Circular, which inter alia provides that all representations against 'Adverse remarks' recorded in the APAR (Annual Performance Appraisal Report) should be dealt with and decided upon expeditiously by the Competent Authority i.e. normally the authority next above the Reviewing Authority and in any case within three months from the date of submission of the representation. The Competent Authority in consultation with the Reporting and/ or Reviewing Authority, if such consultation is necessary, may decide the representation.

On the basis of representation received from staff side, the issue of the Competent Authority for deciding the representation against 'Adverse Remarks' has been reviewed in the Railway Board. After careful consideration of the matter, in consultation with Zonal Railways and Federations, and with the approval of the Board, it has been decided that the Competent Authority to consider representations against adverse remarks recorded in the APAR of non-gazetted railway employees will be as per Annexure-I. Other instructions of the para 8.2 remains unchanged.

Encl.: As above (Annexure-I).


(संजय कुमार /Sanjay Kumar)

उप निदेशक स्था.(एन)/Deputy Director Estt.(N)

रेलवे बोर्ड/Railway Board

टेली./Tele No. 011-23303658


पांचवां तल, कमरा नं. 536 ई(1), रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in
5th Floor, Room No.536 E(1), Rail Bhawan, New Delhi-110001

No. E(NG)I-2023/CR/4

New Delhi, dated 24.09.2024

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.


24.9.24
for PED (IR)/Railway Board

Advisor/MR, PSs/MoSR(S), MOSR(R), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/Safety, DG/HR, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT)II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

Annexure-I to Board's letter no. E(NG)I-2023/CR/4 dated 24.09.2024

(i) In Division

Accepting Authority	Competent Authority to consider Representation
Junior Scale/Group B	Senior Scale In charge Officer/JAG Officer
Senior Scale	JAG Officer
JAG Officer	ADRM
ADRM	DRM
DRM	PHOD of the concerned Department

(ii) In Extra Divisional Units (Workshops/General Stores Depot Central Hospitals)

Accepting Authority	Competent Authority to consider Representation
Junior Scale/Group B	JAG Officer
Senior Scale	JAG Officer
JAG Officer	CWM/CMM/MD(Central Hospital)
CWM/CMM/MD(Central Hospital)	PHOD of the concerned Department

(iii) In Headquarters

Accepting Authority	Competent Authority to consider Representation
Junior Scale/Group B	JAG Officer (Dy.HOD)
Senior Scale	JAG Officer
JAG Officer (Dy.HOD)	HOD
HOD	PHOD

(iv) In Construction Organisation

Accepting Authority	Competent Authority to consider Representation
Junior Scale/Group B	JAG Officer (Dy.HOD)
Senior Scale	JAG Officer (Dy.HOD)
JAG Officer (Dy.HOD)	HOD
HOD	CAO(C)

If PHOD or CAO (C) is the Accepting Authority, the AGM may serve as the Competent Authority.

Sanjay
24/09/24

आरबीई सं.89/2024

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)I-2023/सीआर/4

नई दिल्ली, दिनांक 24.09.2024


महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां इत्यादि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित रेल सेवक की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज 'प्रतिकूल टिप्पणियों' के संबंध में अभ्यावेदनों पर विचार करना।

अराजपत्रित रेल सेवकों पर गोपनीय रिपोर्टें- मास्टर परिपत्र विषय पर मास्टर परिपत्र संख्या 28/91 के पैरा 8.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि एपीएआर (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) में दर्ज 'प्रतिकूल टिप्पणियों' के संबंध में सभी अभ्यावेदनों पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सामान्यतः समीक्षा प्राधिकारी के ऊपर प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से और किसी भी मामले में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने के भीतर निपटान किया जाए। सक्षम प्राधिकारी रिपोर्टिंग और/अथवा समीक्षा प्राधिकारी के परामर्श से, यदि ऐसा परामर्श आवश्यक है, अभ्यावेदन का निपटान किया जाए।

कर्मचारी वर्ग की ओर से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, 'प्रतिकूल टिप्पणी' के संबंध में अभ्यावेदन पर निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के मुद्दे पर रेलवे बोर्ड में समीक्षा की गई है। क्षेत्रीय रेलों और फेडरेशनों के साथ मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने और बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात यह विनिश्चय किया गया है कि अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए अनुलग्नक-1 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी होंगे। पैरा 8.2 में अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त (अनुलग्नक-1)


(संजय कुमार)

उप निदेशक स्था.(अराजपत्रित)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं. 011-23303658

पांचवां तल, कमरा नं. 536 ई(1), रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in

5th Floor, Room No.536 E(1), Rail Bhawan, New Delhi-110001

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, -13सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, गुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, गुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड गुप 'डी' इम्प्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड

बोर्ड का दिनांक 24.09.2024 का पत्र संख्या ई (एनजी)I-2023/सीआर/4 का अनुलग्नक-I

(i) मंडल में

स्वीकार करने वाले प्राधिकारी	अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
कनिष्ठ वेतनमान//ग्रुप 'बी'	वरिष्ठ वेतनमान प्रभारी अधिकारी/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी
वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी	अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक
अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक	मंडल रेल प्रबंधक
मंडल रेल प्रबंधक	संबंधित विभाग का प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष

(ii) अन्य मंडलीय इकाइयों (कारखानों/ सामान्य भंडार डिपो, सेंट्रल अस्पतालों)

स्वीकार करने वाले प्राधिकारी	अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
कनिष्ठ वेतनमान//ग्रुप 'बी'	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी
वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी	मुख्य कारखाना प्रबंधक/मुख्य सामग्री प्रबंधक/प्रबंध निदेशक (सेंट्रल अस्पताल)
मुख्य कारखाना प्रबंधक/मुख्य सामग्री प्रबंधक/प्रबंध निदेशक (सेंट्रल अस्पताल)	संबंधित विभाग का प्रधान विभागाध्यक्ष

(iii) मुख्यालयों में

स्वीकार करने वाले प्राधिकारी	अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
कनिष्ठ वेतनमान/ग्रुप 'बी'	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (उप विभागाध्यक्ष)
वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (उप मुख्य विभागाध्यक्ष)	विभागाध्यक्ष
विभागाध्यक्ष	प्रधान विभागाध्यक्ष

(iv) निर्माण संगठन में

स्वीकार करने वाले प्राधिकारी	अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
कनिष्ठ वेतनमान/ग्रुप 'बी'	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (उप विभागाध्यक्ष)
वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (उप विभागाध्यक्ष)
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (उप विभागाध्यक्ष)	विभागाध्यक्ष
विभागाध्यक्ष	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

यदि प्रधान विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) स्वीकार करने वाले प्राधिकारी हैं, अतिरिक्त महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।